भाग - III

अध्याय - 8

नराकास की सार्थकता में विद्यमान अवरोध एवं उनके बेहतर कार्यान्वयन के लिए सुझाव

8.1 प्रस्तावना: लोकतांत्रिक राज्य (देश) में लोकतंत्र का लाभ जन-जन तक पहुंचाने तथा सरकार की नीतियों और योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं उनके सफल कार्यान्वयन के लिए केन्द्र, प्रांत व स्थानीय स्तर पर सत्ता की भागीदारी, शक्तियों एवं कर्तव्यों का निर्धारण किया गया है। ठीक इसी प्रकार भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों, संस्थानों आदि में भारत सरकार की राजभाषा नीति के सुचारु कार्यान्वयन के लिए विभिन्न स्तरों पर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है। ये समितियां हैं संसदीय राजभाषा समिति, केन्द्रीय हिन्दी समिति, केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति, हिंदी सलाहकार समितियां, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां (नराकास) व राजभाषा कार्यान्वयन समितियां ।

8.2 प्रस्तुत अध्याय में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के गठन, महत्व, कार्यकलापों, इनके प्रति विभिन्न नगरों में स्थित कार्यालयों की जागरुकता व अन्य संबध्द विषयों सहित संसदीय राजभाषा समिति द्वारा 01 अप्रैल, 2005 से 30 सितम्बर, 2010 तक की अवधि में विभिन्न नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के साथ हुए विचार-विमर्श का विश्लेषण प्रस्तुत किया जा रहा है।

8.3 "नराकास" का गठन: राजभाषा विभाग के दिनांक 22.11.1976 के का.ज्ञा.सं. 1/14011/12/76-रा.भा.(का-1) के अनुसार देश के उन सभी नगरों में जहां केन्द्रीय सरकार के 10 या इससे अधिक कार्यालय हों, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया जा सकता है। समिति का गठन राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर भारत सरकार के सचिव (राजभाषा) की अनुमति से किया जाता है।

8.4 अध्यक्षता: इन समितियों की अध्यक्षता नगर विशेष में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि के वरिष्ठतम अधिकारियों में से किसी एक के द्वारा की जाती है। अध्यक्ष को राजभाषा विभाग द्वारा नामित किया जाता है। नामित किए जाने से पूर्व प्रस्तावित अध्यक्ष से समिति की अध्यक्षता के संबंध में लिखित सहमति प्राप्त की जाती है।

8.5 सदस्यता: नगर में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालय/उपक्रम/बैंक आदि अनिवार्य रूप से इस समिति के सदस्य होते हैं । उनके वरिष्ठतम अधिकारियों (प्रशासनिक प्रधानों) से यह अपेक्षा की जाती है कि वे समिति की बैठकों में नियमित रूप से भाग लें।

8.6 सदस्य - सचिव: समिति के सचिवालय के संचालन के लिए समिति के अध्यक्ष द्वारा अपने कार्यालय से अथवा किसी सदस्य कार्यालय से एक हिन्दी विशेषज्ञ को उसकी सहमति से समिति का सदस्य-सचिव मनोनीत किया जाता है। अध्यक्ष की अनुमति से समिति के कार्यकलाप सदस्य-सचिव द्वारा किए जाते हैं।

8.7 बैठकें: इन समितियों की वर्ष में दो बैठकें आयोजित की जाती हैं। प्रत्येक समिति की बैठकें आयोजित करने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा एक कैलेन्डर रखा जाता है जिसमें प्रत्येक समिति की बैठक हेतु एक निश्चित महीना निर्धारित किया जाता है । इन बैठकों के आयोजन संबंधी सूचना समिति के गठन के समय दी जाती है और निर्धारित महीनों में समिति को अपनी बैठकें करनी होती हैं ।

8.8 प्रतिनिधित्व: इन समितियों की बैठकों में नगर विशेष में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि के प्रशासनिक प्रधान भाग लेते हैं। राजभाषा विभाग (मुख्यालय) एवं इसके क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय के अधिकारी भी इन बैठकों में राजभाषा विभाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। नगर स्थित केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद की शाखाओं में से किसी एक प्रतिनिधि एवं हिन्दी शिक्षण योजना के किसी एक अधिकारी को भी बैठक में आमंत्रित किया जाता है।

8.9 उद्देश्य: केन्द्रीय सरकार के देश भर में फैले हुए कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को बढावा देने और राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के मार्ग में आरही कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक संयुक्त मंच की आवश्यकता महसूस की गई ताकि वे मिल बैठकर सभी कार्यालय/उपक्रम/बैंक आदि चर्चा कर सकें। फलत: नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के गठन का निर्णय लिया गया। इन समितियों के गठन का प्रमुख उद्देश्य केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा करना, इसे बढावा देना और इसके मार्ग में आई कठिनाइयों को दूर करना है।

8.10 कार्यकलाप: राजभाषा विभाग के दिनांक 3.9.1979 के का.ज्ञा.सं. 12027/2/79-रा.भा. (ख-1) के अनुसार इन समितियों के मुख्यत: निम्नलिखित कार्य निर्धारित किए गए:-

(1) राजभाषा अधिनियमनियम और सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढाने के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों और हिन्दी के प्रयोग से संबंधित वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करना;

(2) नगर में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग बढाने के संबंध में किए जाने वाले उपायों पर विचार करना;

(3) हिन्दी के संदर्भ साहित्य, टाइपराइटरों, कम्प्यूटरों, आशुलिपिकों, टाइपिस्टों आदि की उपलब्धता की समीक्षा करना; और

(4) हिन्दी भाषा, हिन्दी टंकण और हिन्दी आशुलिपि के प्रशिक्षण से संबंधित समस्याओं पर विचार करना।

8.11 इन प्रमुख कार्यों के अतिरिक्त नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों द्वारा राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को प्रोत्साहन देने हेतु नगर के सभी कार्यालयों के बीच कई प्रकार की प्रोत्साहन योजनाएं भी चलाई जाती हैं, जैसे हिंदी संबंधी प्रतियोगिताएं आयोजित करना, हिन्दी दिवस/सप्ताह का आयोजन, हिन्दी से संबंधित सेमिनार/संगोष्ठियां आदि आयोजित करना, हिन्दी की प्रगति में सर्वोत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्यालय को पुरस्कार/प्रशस्ति पत्र प्रदान करना।

8.12 वर्गीकरण एवं बैठकों हेतु प्रतिपूर्ति राशि: जिन समितियों के सदस्य कार्यालयों की संख्या 100 से अधिक है, उन्हें बड़ी समिति माना जाता है और जिनके सदस्य कार्यालयों की संख्या 100 या उससे कम है उन्हें छोटी समिति माना जाता है।

8.13 संसदीय राजभाषा समिति की आलेख एवं साक्ष्य उप समिति देश के विभिन्न नगरों में स्थित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के साथ समय-समय पर विचार-विमर्श करती है । राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर दी गई सूचना के अनुसार इस समय देशभर में कुल 274 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित हैं (अनुलग्नक - क) । यह सुखद स्थिति है कि इन नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की संख्या में प्रतिवर्ष वृध्दि हो रही है । उन नगरों में जहां नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन नहीं हुआ है, राजभाषा विभाग अपने क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों के माध्यम से पड़ताल कर अधिकाधिक नगरों में इनका गठन कर रहा है ताकि पूरे देश में इन समितियों के माध्यम से हिन्दी का वातावरण बन सके और सभी सरकारी कार्यालयों में राजभाषा का बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके । उदाहरण के लिए कुछ वर्ष पहले रुड़की, हरिद्वार तथा ऋषिकेश में स्थित कार्यालय देहरादून में गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य कार्यालय हुआ करते थे और सभी इन कार्यालय के प्रमुख देहरादून की बैठकों में भाग लिया करते थे । राजभाषा विभाग ने इस विषय पर गंभीरता से विचार किया और हरिद्वार में एक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया जिसमें हरिद्वार के साथ-साथ रुड़की और ऋषिकेश के कार्यालयों को सदस्य कार्यालयों के रूप में शामिल किया गया । इससे इस क्षेत्र में हिन्दी का वातावरण पहले से अच्छा बना और सभी कार्यालयों ने देहरादून की अपेक्षा हरिद्वार में गठित नराकास में सम्मिलित होना सुविधाजनक पाया । यह पाया गया कि हरिद्वार में नराकास के गठन से रुड़की से ऋषिकेश के समूचे क्षेत्र में हिन्दी का वातावरण बन गया तथा इस क्षेत्र में स्थित सभी सरकारी कार्यालयों में संघ की राजभाषा नीति के संबंध में जागरुकता में अभिवृध्दि हुई । इस तरह यह महसूस किया गया कि क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों को उन नगरों में नराकास के गठन की संभावनाओं का पता लगाकर अधिकाधिक समितियों का गठन करना चाहिए जहां नराकास के गठन की अपार संभावनाएं हों ताकि पूरे देश में राजभाषा हिन्दी का उत्तरोत्तर प्रगामी प्रयोग और प्रचार-प्रसार सुनिश्चित हो सके ।

8.14 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की निरंतर बढ़ती संख्या को देखते हुए इस विषय पर भी विचार करना समीचीन होगा कि राजभाषा विभाग द्वारा देश भर में स्थापित आठ क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों के पास इस समय 274 नराकास हैं । नराकास की बैठकें वर्ष में दो बार होती हैं । अब पूरे भारत में इन समितियों की 548 बैठकें वर्ष में की जाती हैं जिनमें 8 क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों की सहभागिता अपेक्षित होती है । इन आठ क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों में यह पाया गया है कि कुल अधिकारियों की संख्या 20 से अधिक नहीं है । अधिकतर कार्यालयों में उप निदेशक एवं अनुसंधान अधिकारी हैं तथा कुछ कार्यालयों में सहायक निदेशक का पद भी सृजित है । यदि औसत देखा जाए तो वर्ष में एक अधिकारी को 27 बैठकों में भाग लेना चाहिए जो अन्य दायित्वों के साथ-साथ असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है । यह समस्या उस समय और गंभीर हो जाती है जब भोपाल जैसे क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय जिसके पास 55 नराकास हैं और क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय में निरीक्षण तथा बैठकों में भाग लेने के लिए केवल दो अधिकारी हैं । ऐसी स्थिति में इस कार्यालय में कार्यरत दो अधिकारियों को वर्ष में समितियों की 110 बैठकों में भाग लेना होगा । इसी तरह क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, गाजियाबाद के पास 42 नराकास हैं जो 6 राज्यों - उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, हरियाणा,

पंजाब, हिमाचल, जम्मू एवं कश्मीर में गठित हैं । अत: इस क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय के लिए सभी नराकासों की सही मॉनीटरिंग करना कठिन प्रतीत होता है क्योंकि इस कार्यालय के पास सुदूर क्षेत्रों में गठित नराकास हैं । देश में सभी 8 क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों एवं उनके क्षेत्रों में गठित नराकासों की संख्या निम्नानुसार है -

क्र.सं.	कार्यालय	नराकास की संख्या
1	दिल्ली	02
2	गाजियाबाद	42
3	भोपाल	55
4	मुंबई	41
5	बैंगलूरू	36
6	कोचीन	36
7	कोलकाता	37
8	गुवाहाटी	21

8.15 उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि कुछ क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों के पास संसाधनों की तुलना में नराकासों की संख्या अधिक है । दिनांक 01.04.2005 से 30.09.2010 तक पूरे भारत में 'क', 'JÉ' एवं 'MÉ' क्षेत्र में गठित नराकासों से किए गए विचार-विमर्श कार्यक्रमों के आधार पर समीक्षा की गई है और यह पाया गया कि उक्त समयावधि में 'क' क्षेत्र में 21, 'JÉ' क्षेत्र में 20 तथा 'MÉ' क्षेत्र में 40 नराकासों के साथ विचार-विमर्श किया गया। इन क्षेत्रों में विचार-विमर्श किए गए नराकासों में कुल सदस्य कार्यालयों की संख्या 'क' क्षेत्र में 1540,'JÉ' क्षेत्र में 1384 तथा 'MÉ' क्षेत्र में 2786 थी और यह पाया गया कि 'क' क्षेत्र में इन नराकासों की बैठकों में शामिल होने वाले कार्यालयों की संख्या कुल सं. 1540 में से 855, ख क्षेत्र में 1384 में से 792 और ग क्षेत्र में 2786 में से 1703 पाई गई । अवलोकन करने पर यह पाया गया कि इन कार्यालयों के कार्यालय प्रमुखों की संख्या काफी कम थी । 'क' क्षेत्र में 1540 में से 1095, 'JÉ' क्षेत्र में 1384 में से 873 तथा 'MÉ' क्षेत्र में 2786 में से 1892 कार्यालयाध्यक्षों ने भाग लिया । उक्त अवधि के दौरान यह भी पाया गया कि 'क' क्षेत्र में 21 नराकासों की पिछली तीन बैठकों के आंकड़ों के आधार पर 63 बैठकों में क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों के अधिकारियों की सहभागिता 58 बैठकों में, 'JÉ' क्षेत्र में हुई 60 बैठकों में से 53 बैठकों में तथा तथा 'MÉ' क्षेत्र में 120 बैठकों में से 107 बैठकों में हुई है । अत: एक ओर इन नराकासों की संख्या में हम प्रति वर्ष बढाेतरी कर रहे हैं ताकि पूरा भारत इन नराकासों के माध्यमों से हिन्दी में अधिकाधिक कार्य करने का एक वातावरण तथा ठोस आधार प्राप्त कर सके। दूसरी तरफ इस बढती नराकासों की संख्या को देखते हुए यह महसूस किया जा रहा है कि इन नराकासों की मॉनीटरिंग करने एवं इनके समन्वय के कार्य के लिए राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों की संख्या में अभिवृध्दि हो और तदनुसार इन कार्यालयों के लिए आनुपातिक संख्या में अधिकारियों की नियुक्ति की जाए । क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों तथा नराकास के संबंध में एक और बात का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि कुछ क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों के अंतर्गत कार्यरत नराकास की समय से बैठकें नहीं हो रही हैं तथा कुछ नराकास में दो-तीन वर्षों में केवल एक बैठक होती है । ऐसी स्थिति में नई नराकासों के गठन के साथ-साथ पूर्व में गठित नराकसों को सुदृढ बनाने तथा उनकी नियमित बैठकें एवं अन्य कार्यकलापों को निष्पादित करने हेतु उनकी मॉनीटरिंग व्यवस्था सुदृढ क़रने की भी महती आवश्यकता है ।

8.16 इन समितियों के साथ विचार-विमर्श कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि जिस उद्देश्य को लेकर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है उसे पाने की दिशा में संबंधित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं तथा वे प्रयास कहां तक कारगर साबित हुए हैं। नगर राजभाषा कार्यान्वन समिति के प्रयासों से कितने सदस्य कार्यालय लाभान्वित हुए हैं तथा किस हद तक लाभान्वित हुए हैं । नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के स्वयं के पास तथा सदस्य कार्यालयों के पास राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन से जुड़ी मूलभूत सुविधाओं का परस्पर लाभ लिया जा रहा है अथवा नहीं। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से हो रही हैं अथवा नहीं, उन बैठकों में सदस्य कार्यालयों के प्रमुखों/प्रतिनिधियों की उपस्थिति की स्थिति क्या है, नगर में प्रशिक्षण सुविधाएं हैं अथवा नहीं, सदस्य कार्यालयों द्वारा छमाही प्रगति रिपोर्ट समय पर भेजी जाती है या नहीं, उन रिपोर्टों की समीक्षा की जाती है अथवा नहीं, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा क्या कोई हिन्दी पत्र/पत्रिका प्रकाशित की जाती है, क्या नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा सामूहिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं इत्यादि।

8.17 विचार-विमर्श बैठकों में उपर्युक्त सभी विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की जाती है तथा जिन क्षेत्रों में अभी प्रगति नहीं अथवा बहुत कम हुई है उनके कारणों का विश्लेषण किया जाता है। लक्ष्यों की प्राप्ति में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सामने जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को हल के उपाय भी सुझाए जाते हैं। इसी सिलसिले में समिति की आलेख एवं साक्ष्य उप समिति ने 01 अप्रैल, 2005 से 30 सितम्बर, 2010 तक की अवधि के दौरान देशभर में स्थित 86 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के साथ विचार-विमर्श कार्यक्रम आयोजित किए (अनुलग्नक - 'JÉ') ।

8.18 संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के आठवें खंड के अध्याय 8 में समिति द्वारा दिनांक 01.01.2002 से 31.3.2005 तक की अवधि के दौरान 'क', 'JÉ' एवं 'MÉ' क्षेत्र में स्थित विभिन्न नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के साथ आयोजित विचार-विमर्श कार्यक्रमों का सारविश्लेषण प्रस्तुत किया गया था। अत: नवें खंड में उसी प्रकार का सारविश्लेषण प्रस्तुत न कर उन विषयों, मुद्दों व समस्याओं आदि पर ध्यान केन्द्रित किया गया है जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं तथा जिनका संबंध सामान्यत: 'क', 'JÉ' तथा 'MÉ' क्षेंत्र में स्थित सभी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों से है।

8.19 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के साथ विचार-विमर्श के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह तथ्य सामने आया है कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में सदस्य कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों के प्रमुख स्वयं बैठकों में भाग न लेकर अपने अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी को इन बैठकों में भाग लेने के लिए नामित करते हैं और कई बार तो बैठक में कुछ कार्यालयों का प्रतिनिधित्व तक नहीं होता । ऐसे में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक सार्थक नहीं हो पाती । चूंकि इन बैठकों में कुछ नीतिगत मुद्दों पर भी निर्णय लेने होते हैं तथा ये निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाने होते हैं और यदि बैठक में संबंधित कार्यालय के प्रमुख उपस्थित न हों तो फिर इस प्रकार से लिए गए निर्णय के अनुपालन का आश्वासन उस कार्यालय का प्रतिनिधि नहीं दे पाता क्योंकि ऐसा करने के लिए वह अधिकृत नहीं होता। साथ ही, यदि कार्यालय प्रमुख नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में स्वयं उपस्थित हों तो न केवल बैठक की चर्चा सार्थक होगी अपितु वे कार्यालयाध्यक्ष होने के नाते बैठक में लिए गए निर्णय को अपने संबंधित कार्यालय में कार्यान्वित करने में सक्षम होंगे । विभिन्न नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के साथ विचार-विमर्श कार्यक्रमों में कुछ सदस्य कार्यालयों का यह कहना था कि

उन्हें नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की तारीख की सूचना या तो मिलती ही नहीं या फिर बैठक की नियत तिथि के पश्चात् मिलती है। इस स्थिति के मद्देनजर समिति द्वारा 01 अप्रैल, 2005 से 30 सितम्बर, 2010 तक कुल 1798 कार्यालयों के साथ किए गए विचार-विमर्श से जो तस्वीर उभरी है उसके अनुसार 628 कार्यालय प्रमुखों ने अपने-अपने नगरों में गठित नराकास की बैठकों में भाग नहीं लिया है । इनमें से 47 कार्यालयों ने यह उल्लेख किया है कि उन्हें बैठक की सूचना प्राप्त नहीं हुई । साथ ही कुछ कार्यालयों ने यह भी उल्लेख किया है कि उन्हें बैठक की सूचना निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त हुई । यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि नराकास की बैठक एक ऐसा मंच होता है जहां सदस्य कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग में आने वाली कठिनाइयों को सामूहिक रूप से हल किया जाता है तथा कार्यालयों को हिन्दी प्रयोग से जुड़ी सुविधाओं की अद्यतन जानकारी मिलती रहती है जिसका लाभ उठाकर कार्यालय अपने यहां हिन्दी के प्रयोग में लक्ष्य के अनुरूप वृध्दि सुनिश्चित कर सकते हैं । स्थिति में गुणात्मक सुधार लाने के लिए सभी मंत्रालय/मुख्यालय अपने सभी अधीनस्थ कार्यालयों को नराकास के सदस्य के रूप में नामित कराने हेतु शीघ्र कदम उठाएं । बैठकों की सूचना न मिलने अथवा विलंब से मिलने से बचने का एक सामान्य उपाय यह है कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में ही सर्वसम्मति से अगली बैठक की तिथि तय कर ली जाए और बैठक की नियत तिथि से कम से कम 15 दिन पहले बैठक के आयोजन की सूचना सभी सदस्य कार्यालयों को भेज दी जाए तथा एक सप्ताह पूर्व सभी सदस्यों को दूरभाष द्वारा भी सूचित कर दिया जाए। इसके अतिरिक्त समिति का यह भी मत है कि सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा समय-समय पर अपने-अपने अधीनस्थ सभी कार्यालयों को यह स्पष्ट आदेश दिए जाएं कि उन कार्यालयों के प्रमुख नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में स्वयं भाग लें। राजभाषा विभाग द्वारा भी समय-समय पर इसी प्रकार के आदेश निकाले जाएं तथा क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों के माध्यम से इस आशय की रिपोर्ट प्राप्त कर भाग न लेने वाले कार्यालयाध्यक्षों को राजभाषा विभाग की ओर से कड़े आदेश जारी किए जाएं । इस संबंध में यह देखा गया है कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में भाग लेने वाले अधिकारियों की सूचना तो क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय को दी जाती है लेकिन बैठक में कार्यालय प्रमुखों की अनुपस्थिति की रिपोर्ट प्रेषित नहीं की जाती है । अत: इस संबंध में गंभीरता बरती जाए तथा इस आशय की रिपोर्ट भेजी जाए ताकि राजभाषा विभाग के माध्यम से क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय इस पर उचित कार्रवाई कर सके ।

8.20 आलेख एवं साक्ष्य उपसमिति के समक्ष विचार-विमर्श कार्यक्रमों के दौरान यह तथ्य भी सामने आया कि कुछ नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव एक ही कार्यालय से न होकर अलग-अलग कार्यालयों से होते हैं । ऐसे में दोनों में सही सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता क्योंकि बहुत से निर्णय नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव को मिलकर लेने होते हैं। इसके अतिरिक्त, कई बार उस अधिकारी को सदस्य सचिव नामित किया जाता है जो सीधे राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबध्द नहीं होते अपितु उनके पास राजभाषा का अतिरिक्त प्रभार होता है। उन्हें राजभाषा के नियमों, उपनियमों, राष्ट्रपति जी के आदेशों, वार्षिक कार्यक्रम आदि की सही-सही जानकारी नहीं होती। इस प्रकार वे राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के प्रति उतने संजीदा नहीं होते जितने कि हिन्दी अधिकारी / राजभाषा अधिकारी । इसके अतिरिक्त वे नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष को भी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की गतिविधियों के संचालन में वांछित मदद नही दे पाते। अत: प्रयास यह होना चाहिए कि जिस कार्यालय के पास नराकास है और कार्यालय में हिन्दी अधिकारी का पद नहीं है तो ऐसी स्थिति में समिति का सदस्य सचिव का दायित्व किसी अन्य अधिकारी को न देकर नगर में स्थिति किसी दूसरे कार्यालय के सक्षम एवं

अनुभवी हिन्दी अधिकारी को सदस्य सचिव का दायित्व दिया जाए ताकि वह अध्यक्ष को अपेक्षित सहयोग दे तथा नराकास की बैठकों के आयोजन संबंधी समन्वय कार्य करे तथा अन्य कार्यों को सफलतापूर्वक निष्पादित करे।

8.21 यह भी देखा गया है कि विभिन्न नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के सदस्य कार्यालयों में राजभाषा कार्मिकों की कमी है और कहीं-कहीं तो कुछ कार्यालयों में राजभाषा का एक भी पद सृजित नहीं है जिससे सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन में असुविधा होती है और साथ ही उस कार्यालय को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की गतिविधियों का भी पूरा लाभ नहीं मिल पाता । जैसा कि पहले भी उल्लेख किया गया है समिति ने 01 अप्रैल, 2005 से 30 सितम्बर, 2010 तक विभिन्न नगरों में स्थित 86 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के साथ विचार-विमर्श कार्यक्रम आयोजित किए । इनमें से 529 कार्यालय ऐसे पाए गए हैं जिनमें राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए हिन्दी का एक भी पद सृजित नहीं हैं (अनुलग्नक - "ग") । अनुलग्नक - "ग" से यह भी स्पष्ट होता है कि क्षेत्र "ग" में ऐसे कार्यालयों की संख्या अधिक है जिनमें राजभाषा हिन्दी का एक भी पद सृजित नहीं है । पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित केन्द्रीय कार्यालयों में हिन्दी पदों की स्थिति और भी दयनीय है । यही कारण है कि क्षेत्र "ग" में समिति द्वारा किए जा रहे प्रयासों से जहां दक्षिण भारत के राज्यों यथा कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में हिन्दी के प्रयोग का स्तर उत्तरोत्तर बढ रहा है वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग का प्रतिशत अपेक्षित गति से नहीं बढ पा रहा है । वर्तमान स्थिति की समीक्षा के बाद समिति इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि देश के सभी छोटे-बड़े कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु हिन्दी के न्यूनतम पद सृजित किए जाएं । इसके लिए मंत्रालयों/विभागों को पहल करनी होगी। उन्हें अपने अधीनस्थ सभी कार्यालयों के अनुसचिवीय अधिकारियों/ कर्मचारियों की सही स्थिति का पता लगाकर उनमें हिन्दी पद सृजित करने चाहिए ।

8.22 यहां यह भी कहना आवश्यक है कि जब कभी नए कार्यालयों का सृजन किया जाता है उस समय अन्य पदों के साथ - साथ पर्याप्त रूप से हिन्दी के पद सृजित किए जाने चाहिए और हिन्दी के पदों के सृजन पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए । वर्तमान में यह देखा गया है कि नए कार्यालयों को खोलते समय हिन्दी पदों को अनदेखा कर दिया जाता है । यह जिम्मेदारी संबंधित मंत्रालयों की होनी चाहिए । वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग भी यह सुनिश्चित करे कि यदि किन्ही कारणों से हिन्दी का कोई पद एक वर्ष से अधिक समय तक रिक्त रह जाता है तो उसे समाप्त नहीं किया जाए ।

8.23 एक अन्य समस्या जो सामान्यत: सभी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के समक्ष आ रही है वह है बैठकों पर आने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति। जिन समितियों के सदस्य कार्यालयों की संख्या 100 से अधिक है, उन्हें बड़ी समिति माना जाता है और जिनके सदस्य कार्यालयों की संख्या 100 या उससे कम है, उन्हें छोटी समिति माना जाता है। राजभाषा विभाग द्वारा 10 से 50 सदस्यों वाली नराकास में 1500 रु, 51-100 को 3000 रु. तथा 100 से अधिक को 4000 रु. की राशि प्रदान की जाती है। किन्तु विचारर्-विमर्श के दौरान लगभग सभी समितियों की ओर से संसदीय राजभाषा समिति को यह बताया गया कि यह राशि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की गतिविधियों के संचालन के लिए अपर्याप्त है। राजभाषा विभाग के दिनांक 07.04.1995 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12024/6/94-रा.भा.(का-2) का उल्लेख करना भी समीचीन होगा जिसके पैरा 2 के अनुसार 'राशि खर्च करते समय यह ध्यान रखा जाए कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की एक दिन की बैठक में दो

समय की चाय व दोपहर के भोजन पर कुल खर्च 14- रू0 प्रति व्यक्ति से अधिक न किया जाए। बैठक के संबंध में अन्य विविध खर्च, बची हुई राशि से किए जा सकते हैं। इस संबंध में, अध्यक्ष अपने स्तर पर निर्णय ले सकते हैं ।' इस कार्यालय ज्ञापन को जारी हुए लगभग 15 वर्ष का समय बीत चुका है, कहना न होगा कि इसे अनिवार्यत: संशोधित किए जाने की आवश्यकता है। समिति ने आठवें खंड में सिफारिश की थी कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों के आयोजन में व्यय होने वाली राशि की सीमा 3000- रू0 से बढाकर 10,000- रू0 कर दी जाए। सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की गई है कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में होने वाले व्यय की सीमा समय-समय पर समीक्षा करके आवश्यतानुसार संशोधित की जाए। समिति यह महसूस करती है कि इस व्यय की सीमा की समीक्षा करने में पहले ही काफी देर हो चुकी है अतएव इसे बढाकर 10 से 50 तक कार्यालयों की सिमित को रूपये 5000/-, 51 से 100 को तथा 100 से अधिक को 15,000 रु. प्रति बैठक कर दिया जाए तथा इसके बाद प्रत्येक 3 वर्ष बाद इसकी समीक्षा कर राशि को बढाया जाए। साथ ही, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा सामूहिक रूप से आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों यथा राजभाषा सम्मेलनों, संगोष्ठियों, प्रतियोगिताओं आदि के लिए राजभाषा विभाग द्वारा अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाए।

8.24 उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में संसदीय राजभाषा समिति निम्नलिखित सुझाव देती है -

(i) सभी मंत्रालय/मुख्यालय यह सुनिश्चित करें कि उनके नियंत्रणाधीन सभी छोटे-बड़े कार्यालय, बैंक, उपक्रम, संस्थान, अधिकरण आदि अपने-अपने नगरों की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य बन गए हैं ।

(ii) राजभाषा विभाग केन्द्र सरकार के कार्यालयों में हिन्दी की प्रगामी प्रगति के लिए बनाए गए निरीक्षण प्रोफार्मा तथा तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रोफार्मा में निम्नलिखित मदें भी समाहित करे -

क. क्या आपके नगर में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित है ?

ख. क्या आपका कार्यालय इसका सदस्य है ?

ग. यदि हां, तो पिछली बैठक (तारीख) में भाग लेने वाले अधिकारी का नाम व पदनाम बताएं ।

घ. यदि सदस्य नहीं है तो अब तक सदस्यता क्यों नहीं ग्रहण की गई ?

(iii) परस्पर सहयोग एवं समन्वय की भावना होनी चाहिए और इसके लिए यदि अध्यक्ष कार्यालय में हिन्दी अधिकारी का पद नहीं है तो ऐसी स्थिति में नगर के किसी दूसरे कार्यालय से किसी सक्षम एवं अनुभवी हिन्दी अधिकारी को समिति का सदस्य - सचिव बनाया जा सकता है । ऐसे किसी अधिकारी को यह दायित्व नहीं सौंपा जाना चाहिए जो हिन्दी अधिकारी नहीं है ।

(iv) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों के आयोजन में व्यय होने वाली राशि के संबंध में समिति द्वारा आठवें खंड में की गई सिफारिश को अविलंब लागू किया जाए । साथ ही, आयोजन हेतु प्रदान की जाने वाली इस राशि में प्रतिवर्ष 15% की वृध्दि की जाए ।

(v) सभी केन्द्रीय कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु कम से कम एक हिन्दी पद अवश्य सृजित किया जाए । राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु न्यूनतम हिन्दी पद सृजन की इस अवधारणा को तत्काल लागू किया जाए ।

(vi) एक वर्ष से अधिक समय तक रिक्त पड़े हुए हिन्दी के पदों को समाप्त नहीं किया जाए ।

(vii) परस्पर विचारों के आदान-प्रदान हेतु राजभाषा विभाग द्वारा 'क', 'JÉ' तथा 'MÉ' क्षेत्रों में प्रतिवर्ष सचिव, राजभाषा विभाग के साथ नराकास अध्यक्षों एवं सदस्य सचिवों की एक समागम बैठक आयोजित की जाए ।

(viii) राजभाषा विभाग को नराकास की बैठकों के आयोजन, उनमें कार्यालयाध्यक्षों की सहभागिता, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों से अधिकारियों की इन बैठकों में उपस्थिति आदि की सूचना क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों से उपलब्ध कराकर नराकासों की मॉनीटरिंग व्यवस्था को सुदृढ क़िया जाए ताकि इन समितियों के गठन का उद्देश्य पूरा हो सके ।

(ix) जैसे-जैसे पूरे देश में इन नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की संख्या बढ रही है उसी अनुपात में क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों की संख्या व उनके पदों की संख्या बढाई जाए ।

.....

अनुलग्नक - " क "

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की सूची

क्र.सं.	नराकास का नाम
	दिल्ली क्षेत्र
1.	दिल्ली (उपक्रम)
2.	दिल्ली (बैंक)
	उत्तर क्षेत्र
3.	अमृतसर (कार्यालय)
4.	अम्बाला (कार्यालय)
5.	अलीगढ (क़ार्यालय)
6.	आगरा (कार्यालय)
7.	इज्जतनगर (कार्यालय)
8.	इलाहाबाद (कार्यालय)
9.	इलाहाबाद (बैंक)
10.	करनाल (कार्यालय)
11.	कानपुर (कार्यालय)
12.	कानपुर (बैंक)
13.	कुरूक्षेत्र (कार्यालय)
14.	गाजियाबाद (कार्यालय)
15.	गुडगांव
16.	गोरखपुर (कार्यालय)
17.	चंडीगढ (कार्यालय)
18.	चंडीगढ (बैंक)
19.	जम्मू (कार्यालय)
20.	जालंधर (कार्यालय)
21.	झांसी (कार्यालय)
22.	डलहौजी (कार्यालय)
23.	देहरादून (कार्यालय)
24.	धर्मशाला (कार्यालय)
25.	नोएडा (कार्यालय)
26.	पानीपत (कार्यालय)
27.	पटियाला (कार्यालय)
28.	फरीदाबाद (कार्यालय)
29.	भटिंडा (कार्यालय)
30.	मंडी (कार्यालय)

31.	मथुरा (कार्यालय)
32.	मेरठ (कार्यालय)
33.	रायबरेली (कार्यालय)
34.	रोहतक (कार्यालय)
35.	लखनऊ (कार्यालय)
36.	लखनऊ (बैंक)
37.	लुधियाना (कार्यालय)
38.	वाराणसी (कार्यालय)
39.	शक्तिनगर-सोनभद्र
40.	शिमला (कार्यालय)
41.	श्रीनगर (कार्यालय)
42.	हरिद्वार
43.	हल्द्वानी
44.	हिसार (कार्यालय)
	<u>पूर्व क्षेत्र</u>
45.	अंगुल (कार्यालय)
46.	कटक (कार्यालय)
47.	कटिहार (कार्यालय)
48.	कालिम्पोंग (कार्यालय)
49.	कोलकाता (कार्यालय)
50.	कोलकाता (उपक्रम)
51.	कोलकाता (बैंक)
52.	क्योंझर
53.	खड़गपुर (कार्यालय)
54.	जमशेदपुर (कार्यालय)
55.	दरभंगा (कार्यालय)
56.	दुर्गापुर (कार्यालय)
57.	धनबाद (कार्यालय)
58.	पटना (कार्यालय)
59.	पटना (बैंक)
60.	पटना (उपक्रम)
61.	पाराद्वीप पोर्ट (कार्यालय)
62.	पुरी (कार्यालय)
63.	पोर्ट ब्लेयर (कार्यालय)
64.	फरक्का (कार्यालय)
65.	बरौनी बेगूसराय (कार्यालय)

66.	बर्नपुर (कार्यालय)
67.	बर्ध्दमान (कार्यालय)
68.	बहरमपुर (कार्यालय)
69.	बोकारो (कार्यालय)
70.	भागलपुर (कार्यालय)
71.	भुवनेश्वर (कार्यालय)
72.	भुवनेश्वर (बैंक)
73.	मालदा (कार्यालय)
74.	मुजपऊफरपुर (कार्यालय)
75.	रांची (कार्यालय)
76.	रांची (उपक्रम)
77.	रांची (बैंक)
78.	राउरकेला (कार्यालय)
79.	शांतिनिकेतन (कार्यालय)
80.	संबलपुर (कार्यालय)
81.	सिलीगुडी (कार्यालय)
82.	सुनाबेडा (कार्यालय)
83.	हजारीबाग (कार्यालय)
84.	हल्दिया (कार्यालय)
	<u>उत्तर पूर्व क्षेत्र</u>
85.	अगरतला (कार्यालय)
86.	आइजोल (कार्यालय)
87.	इंफाल (कार्यालय)
88.	ईटानगर (कार्यालय)
89.	कोहिमा (कार्यालय)
90.	गंगटोक (कार्यालय)
91.	गुवाहाटी (कार्यालय)
92.	गुवाहाटी (उपक्रम)
93.	गुवाहाटी (बैंक)
94.	जोरहाट (कार्यालय)
95.	डिब्रुगढ (क़ार्यालय)
96.	तेजपुर (कार्यालय)
97.	दीमापुर (कार्यालय)
98.	दुलियाजान
99.	धुबरी
100.	नगांव

101.	नाजिरा
102.	बोंगाइगांव (कार्यालय)
103.	शिलांग (कार्यालय)
104.	सिलचर (कार्यालय)
	<u>मध्य क्षेत्र</u>
105.	अलवर (कार्यालय)
106.	अजमेर (कार्यालय)
107.	अंबिकापुर (कार्यालय)
108.	आबू पर्वत (कार्यालय)
109.	आबूरोड़ (कार्यालय)
110.	इटारसी (कार्यालय)
111.	इंदौर (कार्यालय)
112.	इंदौर (बैंक)
113.	इंदौर (उपक्रम)
114.	उज्जैन (कार्यालय)
115.	उदयपुर (कार्यालय)
116.	कोटा (कार्यालय)
117.	खंडवा (कार्यालय)
118.	खरगोन
119.	ग्वालियर (कार्यालय)
120.	छत्तरपुर (कार्यालय)
121.	छिन्दवाड़ा (कार्यालय)
122.	जगदलपुर (कार्यालय)
123.	जबलपुर (कार्यालय)
124.	जबलपुर (बैंक)
125.	जयपुर (कार्यालय)
126.	जयपुर (उपक्रम)
127.	जयपुर (बैंक)
128.	जोधपुर (कार्यालय)
129.	झाबुआ
130.	देवास (कार्यालय)
131.	धार
132.	नीमच (कार्यालय)
133.	नेपानगर (कार्यालय)
134.	पंचमढी
135.	पिपरिया (कार्यालय)

136.	बालाघाट
137.	बहरोड़ (कार्यालय)
138.	बिलासपुर (कार्यालय)
139.	बीकानेर (कार्यालय)
140.	बुरहानपुर (कार्यालय)
141.	भरतपुर (कार्यालय)
142.	भिलाई (कार्यालय)
143.	भोपाल (कार्यालय)
144.	भोपाल (उपक्रम)
145.	भोपाल (बैंक)
146.	मंडीदीप (कार्यालय)
147.	रतलाम (कार्यालय)
148.	राजनांदगांव (कार्यालय)
149.	रायपुर (कार्यालय)
150.	रायपुर (बैंक)
151.	रायसेन (कार्यालय)
152.	रीवा (कार्यालय)
153.	विदिशा (कार्यालय)
154.	शाजापुर
155.	शिवपुरी (कार्यालय)
156.	श्रीगंगानगर (कार्यालय)
157.	सतना (कार्यालय)
158.	सागर
159.	सीहोर (कार्यालय)
160.	होशंगाबाद (कार्यालय)
	<u>पश्चिम क्षेत्र</u>
161.	अकोला (कार्यालय)
162.	अमरावती (कार्यालय)
163.	अहमदनगर (कार्यालय)
164.	अहमदाबाद (कार्यालय)
165.	अहमदाबाद (बैंक)
166.	औरंगाबाद (कार्यालय)
167.	कान्डला (कार्यालय)
168.	कोल्हापुर (कार्यालय)
169.	गोधरा (कार्यालय)
170.	गोवा (उत्तर) (कार्यालय)

171.	चंद्रपुर (कार्यालय)
172.	जलगांव
173.	जामनगर (कार्यालय)
174.	दमण
175.	दाहोद
176.	दीव
177.	नवी मुंबई
178.	नागपुर (कार्यालय)
179.	नागपुर (बैंक)
180.	नासिक (कार्यालय)
181.	पुणे (कार्यालय)
182.	पुणे (बैंक)
183.	बलसाड (कार्यालय)
184.	भंडारा (कार्यालय)
185.	भावनगर (कार्यालय)
186.	भुज (कार्यालय)
187.	भुसावल (कार्यालय)
188.	मुंबई (कार्यालय)
189.	मुंबई (उपक्रम)
190.	मुंबई (बैंक)
191.	उत्तर मुंबई
192.	रत्नागिरी
193.	राजकोट (कार्यालय)
194.	वडोदरा (कार्यालय)
195.	वडोदरा (उपक्रम)
196.	वडोदरा (बैंक)
197.	वास्को-द-गामा (का0) दक्षिण गोवा
198.	वेरावल (कार्यालय)
199.	सातारा (कार्यालय)
200.	सूरत (कार्यालय)
201.	सिलवासा (कार्यालय)
202.	सोलापुर (कार्यालय)
<u>दक्षिण क्षेत्र</u>	
203.	अनंतपुर (कार्यालय)
204.	आदिलाबाद (कार्यालय)
205.	एलूरू

206.	कर्नूल
207.	कारवार (कार्यालय)
208.	कोलार
209.	खम्मम
210.	गुन्टुर (कार्यालय)
211.	गुन्तकुल (कार्यालय)
212.	गुलबर्गा (कार्यालय)
213.	तिरूपति (कार्यालय)
214.	दावणगेरे
215.	निजामाबाद (कार्यालय)
216.	नेल्लूर
217.	पुतूर
218.	बागलकोट
219.	बीजापुर (कार्यालय)
220.	बेंगलूर (कार्यालय)
221.	बेंगलूर (बैंक)
222.	बेंगलूर (उपक्रम)
223.	बेलगांव (कार्यालय)
224.	बेल्लारी
225.	भद्रावती शिमोगा (कार्यालय)
226.	मण्डया
227.	मडिकेरी (कार्यालय)
228.	मंगलूर (कार्यालय)
229.	मैसूर (कार्यालय)
230.	रायचूर
231.	वारंगल (कार्यालय)
232.	विजयवाडा (कार्यालय)
233.	विशाखापटनम (कार्यालय)
234.	हासन (कार्यालय)
235.	हुबली (कार्यालय)
236.	हैदराबाद (कार्यालय)
237.	हैदराबाद (उपक्रम)
238.	हैदराबाद (बैंक)
<u>दक्षिण - पश्चिम क्षेत्र</u>	
239.	आलप्पुजा (कार्यालय)
240.	ईरोड

241.	ऊटकमंड (कार्यालय)
242.	कडलूर
243.	कण्णुर (कार्यालय)
244.	कारैक्काल (कार्यालय)
245.	कायमकुलम (कार्यालय)
246.	कारैकुडी (कार्यालय)
247.	कालीकट (कार्यालय)
248.	कावारती
249.	कासरगोड़ (कार्यालय)
250.	कोचीन (कार्यालय)
251.	कोचीन (उपक्रम)
252.	कोचीन (बैंक)
253.	कोट्टयम (कार्यालय)
254.	कोयंबटूर (कार्यालय)
255.	कोयम्बटूर (बैंक)
256.	कोल्लम (कार्यालय)
257.	चेन्नई (कार्यालय)
258.	चेन्नई (बैंक)
259.	तंजावुर (कार्यालय)
260.	तिरूचिरापल्ली (कार्यालय)
261.	तिरूनलवेली
262.	तृश्शूर (कार्यालय)
263.	तिरूवनंतपुरम (कार्यालय)
264.	तिरूवनंतपुरम (बैंक)
265.	तिरूवला (कार्यालय)
266.	तुतुक्कडी (कार्यालय)
267.	नागरकोविल
268.	पांडिचेरी (कार्यालय)
269.	पालक्ककाड-कोजीकोड (कार्यालय)
270.	बडगरा (कार्यालय)
271.	मदुरै (कार्यालय)
272.	विरूदुनगर (कार्यालय)
273.	वेल्लूर
274.	सेलम (कार्यालय)

अनुलग्नक " ख "

01 अप्रैल, **2005** से **30** सितम्बर, **2010** तक आयोजित विचार-विमर्श कार्यक्रम में शामिल उन कार्यालयों की संख्या जहां हिन्दी का एक भी पद सृजित नहीं है ।

क्र.सं.	क्षेत्र	**01** अप्रैल, **2005** से **30** सितम्बर, **2010** तक विचार-विमर्श में शामिल कार्यालयों की संख्या	उन कार्यालयों की संख्या जहां हिन्दी का एक भी पद नहीं है
1	क्षेत्र " क "	417	193
2	क्षेत्र " ख "	226	85
3	क्षेत्र " ग "	495	251
	कुल योग	**1138**	**529**